



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112022-239969
CG-DL-E-01112022-239969

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4864]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 2022/कार्तिक 10, 1944

No. 4864]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 2022/KARTIKA 10, 1944

भारी उद्योग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2022

विषय: विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा में विस्तार के संबंध में।

का.आ. 5083(अ).—का. आ. संख्या 4044(अ), दिनांक 11 नवंबर, 2020 के माध्यम से जारी विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 की राजपत्र अधिसूचना और तदुपरांत दिनांक 18 अक्तूबर 2021 के आदेश के अनुसरण में आदेश के प्रवर्तन की तिथि एतद्वारा छः महीने अर्थात् 11 नवंबर 2022 से 10 मई नवंबर 2023 तक के लिए बढ़ाई जाती है।

[फा. सं. 8(1)/2018-एचईआई-भाग(I)]

विजय मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES**ORDER**

New Delhi, the 28th October, 2022

Subject: Extension in timelines for the implementation of the Electrical Equipment (Quality Control)

Order, 2020 -reg.

S.O. 5083(E).—In pursuance to the gazette notification of the Electrical Equipment (Quality Control) Order, 2020 vide S.O. No. 4044(E) dated 11th November, 2020 and subsequent Order dated 18th October, 2021, the date of enforcement of the Order is hereby extended for six months i.e. from 11th November 2022 to 10th May 2023.

[F. No. 8(1)/2018-HEI-Part(1)]

VIJAY MITTAL, Jt. Secy.